



कार्यालय-निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।

6/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

फोन/फैक्स : 0135-2621669 ई-मेल : director.rajaji@gmail.com

सेवा में,

पत्रांक 4408/12-1 देहरादून,

दिनांक 29-06, 2022

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद-उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वांछित 22.2165 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/43650/2019)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय) देहरादून की फाईल संख्या 8बी/यू०सी०पी०/०८/८०/२०२०/एफ०सी०/१०१५ दिनांक १६-११-२०२१

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला (उत्तरकाशी) ने अपनी पत्र सं० 2504/12-1, दिनांक 17-06-2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित तीन बिन्दुओं की वांछित सूचना /अभिलेख की स्कैन प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है। प्राप्त संगत अभिलेखों की स्कैन प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु सं० 2 "The CA area is required to be notified as RF/PF before stage-II approval के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या- 593/X-3-22/1(78) /2020 दिनांक 09 जून, 2022 के द्वारा उक्त विषयक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 22.2165 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3) ड (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) के 44.433 है० क्षेत्रफल की भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेश की प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक:- उक्तानुसार।

भवदीय
(आ. साकेत बडोला)
निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

योग्य पत्रांक 4408/12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला (उत्तरकाशी) को उनके पत्र 2504/12-1, दिनांक 17-06-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

014

(आ. साकेत बडोला)
निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून,
उत्तराखण्ड।



कार्यालय-उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

दिनांक 17/06/2022

पत्रांक 2504/12-1

पुरोला

सेवा में

निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइटल रिजर्व
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सौड रो ओसला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 22.2165 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (I/P/UK/ROAD/43650/2019)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/06/80/2020/एफ०सी०/1415 दिनांक-30.09.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1450/12-1 दिनांक-25.03.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों क्रम में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सौड रो ओसला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 22.2165 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी जिसके क्रम में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी को प्रस्तुत की गयी जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी किन्तु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय-25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/06/80/2020/एफ०सी०/130 दिनांक-30.004.2021 के द्वारा तीन बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी जिनमें से बिन्दु सं०-01 व 03 की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक-1782/12-1 दिनांक-07.06.2021 के द्वारा आपको प्रस्तुत की गयी तथा बिन्दु सं०-3 की कार्यवाही उच्च स्तर से की जानी थी जिसके क्रम में "उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या:-593/X-3-22/1(78)/2020 Date-09-06-2022 के द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित किया गया है"

अतः पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या एवं शासनादेश की छायाप्रति आपको इस अनुरोध से प्रेषित की अपनी संतुष्टि सहित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहे।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डी०पी०बलूनी)

उप निदेशक,

गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

पू०सं० 2504/12-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशारी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०, पुरोला, उत्तरकाशी।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

(डी०पी०बलूनी)

उप निदेशक

गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग-3
संख्या-593/X-3-22/1(78)/2020
देहरादून दिनांक: 09 जून, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रोड़ से ओराला मोटर मार्ग के निर्माण के लिए हस्तान्तरित 22216 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड० (अन्य कृषि योग्य वन्य भूमि) के 44433 है० क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	पट्टी	खता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है०)	भूमि की विनम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	उत्तरकाशी	ओराला	बडासू	64	2	5.787	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी- 9(3)ड०
02				64	49	4.000	
03				64	3362	7.031	
04				64	3449	2.879	
05				64	3451	0.255	
06				64	3470	6.620	
07				64	3472	4.213	
08				64	3474	6.440	
09				64	3502	4.276	
10				64	3505	0.304	
11				64	3772	1.093	
12				64	3774	1.535	
कुल वन भूमि का योग:-						44.433	

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

Signed by Vijay Kumar
Yadav

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्या-593/X-3-22/1(78)/2020 दिनांक: 09.06.2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल उत्तराखण्ड।

7. විද්‍යාය පිළිබඳ දැනුම සහ අවබෝධය වැඩි කිරීම සඳහා පිළියෙන්න.
8. විද්‍යාය පිළිබඳ දැනුම වැඩි කිරීම.
9. විද්‍යාය පිළිබඳ දැනුම වැඩි කිරීම සහ අවබෝධය වැඩි කිරීම.
10. විද්‍යාය පිළිබඳ දැනුම වැඩි කිරීම.
11. විද්‍යාය පිළිබඳ දැනුම වැඩි කිරීම සහ අවබෝධය වැඩි කිරීම සඳහා පිළියෙන්න.
12. විද්‍යාය පිළිබඳ දැනුම වැඩි කිරීම.
13. විද්‍යාය පිළිබඳ දැනුම වැඩි කිරීම.

විද්‍යාය පිළිබඳ දැනුම වැඩි කිරීම
පිළියෙන්න.

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक-

/FP/UK/ROAD/43650/2019 देहरादून दिनांक: 17 अप्रैल, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सौद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त सौड से ओसला मोटर मार्ग (28.100) के निर्माण हेतु 22.2165 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/43650/2019)।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्रांक सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/80/2020/एफ0सी0/1415, दिनांक: 30.09.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून की पत्र संख्या-4605/12-1 दिनांक 01.04.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति यथावत रहेगी।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु गैर वन भूमि का स्थानान्तरण हो चुका है। लेकिन गैर वन भूमि सौंपी नहीं गयी है, पत्र लिखा गया है साथ-साथ कार्यवाही की जा रही है। (संलग्नक-01)
3.	प्रतिपूरक वनीकरण : क) वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 44.433 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम ओसला सिविल खसरा न0 2,49, 3362, 3449, 3451, 3470, 3472, 3474, 3502, 3505, 3772, 3774 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचे। ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वनविभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वनविभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। ग) वनमंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(क) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वानिकी भूमि में स्थानीय व मिश्रित प्रजाती का रोपण किया जायेगा। (ख) शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी उत्तरकाशी, के आदेश दिनांक 03.11.2020 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में नमान्तरण/हस्तान्तरण किया जा चुका है जिसके अभिलेख संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-02) (ग) शर्त के अनुपालन में वनमंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (संलग्नक-3)।



4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	गैर वनिकी भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण विभाग के नाम किया जा चुका है। (साक्ष्य संलग्न है)
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या:202.1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ सी.(Pr.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी.दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 22.2165 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रस्ताव के तहत 22.2165 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-4)
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० की वृद्धि का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 172 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संरक्ष पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वनविभाग के विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम पेड़ों की कटाई की जायेगी पेड़ों की संख्या 172 से अधिक नहीं होगी। पेड़ों की कटाई की लागत प्रयोक्ता खण्ड द्वारा वहन की जायेगी। (संलग्नक-6)
6.	User Agency will deposit the NPV 10 times as the proposed area Falls in National park.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राष्ट्रीय पार्क की 10 गुना एन०पी०वी० धनराशि जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-4 के अनुसार)
7.	State Government and user agency may strictly comply the conditions of Zonal Master Plan and Bhagirathi Eco-Sensitive Zone notification.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जोनल मास्टर प्लान एवं भागीरथी ईको सेन्सिटिव जोन का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
8.	State Govt. will inform this office if pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt.will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission .	स्टेज-II के कार्य से पूर्व पेड़ कटान से सम्बंधित सभी आर्डर राज्य सरकार से प्राप्त किये जायेगे।
9.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धनराशि रु० 16,09,44,502 ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-4 के अनुसार)
10.	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ आर ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर के प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित किया गया है। (संलग्नक-7)
11.	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर विनियमन साईनेज लगाए जायेगें, अनुपालन किया जायेगा।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार आदेशों का पालन किया जायेगा।
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जायेगा।
14.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुपालन किया जायेगा।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मजदूरों को विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। अनुपालन किया जायेगा।
16.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर	सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत

	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
18.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा। अनुपालन किया जायेगा।
19.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।
20.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विभाग को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।
21.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42.2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में निहित शर्तों का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। उल्लंघन की दशा में उचित कार्यवाही हेतु बाध्य है।
22.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीव के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीव के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।
23.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वनविभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	विभाग द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 में मलवा निस्तारण हेतु उचित स्थानों पर Dumping Plan का प्राविधान किया गया है जिसमें उक्त स्थान पर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कर मलवे को स्थिर किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थानों पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर इनका स्थिरीकरण कार्य किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्ष की कटाई नहीं की जायेगी।
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25.	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) में ही अपलोड की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि



भवदीय,
(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या-2669 / FP/UK/ROAD/43650/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून



कार्यालय-उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०. 01373-223433, Eail- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1450 / 12-1

पुरोला:

दिनांक 25/03/2021

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

विषय- जनपद उत्तरकाशी में पी०एम०जी०एस०वाई० के अर्न्तगत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त सौड़ से ओसला मोटर मार्ग (28.100) के निर्माण हेतु 22.2165 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात विधिवत स्वीकृति के संम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/43650/2019)।

सन्दर्भ- कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी) के कार्यालय का पत्रांक 382/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख० दिनांक-22.03.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार की सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन बिन्दुवार कर दिया गया है। (संलग्न-01 एवं 02)

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कार्यवाही संस्था द्वारा कर दिया गया है। अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(कोमल सिंह)

उप निदेशक

गोविन्द वन्य जीव विहार एवं रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी।

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि- (1) निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कोमल सिंह)

उप निदेशक

गोविन्द वन्य जीव विहार एवं रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी।

पद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त सौड़ से ओसला मोटर मार्ग(28.100) के नैम्नण हेतु 22.2165 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/43650/2019) भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक -88/UCP/06/80/2020/FC/1415 दिनांक-30.09.2020 में दी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार।

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति यथावत रहेगी।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु गैर वन भूमि का स्थानान्तरण हो चुका है। लेकिन गैर वन भूमि सौंपी नहीं गयी है, पत्र लिखा गया है साथ-साथ कार्यवाही की जा रही है। (संलग्न-01)
3.	प्रतिपूरक वनीकरण : क) वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 44.433 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम ओसला सिविल खसरा न0 2,49, 3362, 3449, 3451, 3470, 3472, 3474, 3502, 3505, 3772, 3774 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचे। ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वनविभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वनविभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। ग) वनमंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(क) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वानिकी भूमि में स्थानीय व मिश्रित प्रजाती का रोपण किया जायेगा। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जा चुका है। संलग्नक-2 कब्जा दिलाने हेतु कार्यवाही की जा रही है, पत्र लिखा गया है। संलग्नक-01
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	गैर वानिकी भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के नाम किया जा चुका है। (साक्ष्य संलग्न है)
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या-202.1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ सी. (Pr.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007 -एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 22.2165 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रस्ताव के तहत 22.2165 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किया जा चुका है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 172 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संरक्ष पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वनविभाग के विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम पेड़ों की कटाई की जायेगी पेड़ों की संख्या 172 से अधिक नहीं होगी। पेड़ों की कटाई की लागत प्रयोक्ता खण्ड द्वारा वहन की जायेगी।
6.	User Agency will deposit the NPV 10 times as the proposed area Falls in National park.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राष्ट्रीय पार्क की 10 गुना एन0पी0वी0 धनराशि जमा कर दी गयी है। (साक्ष्य संलग्न है)

7.	State Government and user agency may strictly comply the conditions of Zonal Master Plan and Bhagirathi Eco-Sensitive Zone notification.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जॉनल मास्टर प्लान एवं भागीरथी ईको सेन्सिटिव जोन का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
8.	State Govt. will inform this office if pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	स्टेज-II के कार्य से पूर्व पेड़ कटान से सम्बंधित सभी आर्डर राज्य सरकार से प्राप्त किये जायेंगे।
9.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (http://eparivesh-nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धन ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दिया गया है।
10.	एफ आर ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ आर ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर के प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
11.	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे। अनुपालन किया जायेगा।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार आदेशों का पालन किया जायेगा।
13.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जायेगा।
14.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुपालन किया जायेगा।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यालय वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मजदूरों को विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। अनुपालन किया जायेगा।
16.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
18.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा। अनुपालन किया जायेगा।
19.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।
20.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केंद्र सरकार की अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विभाग को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।
21.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42.2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में निहित शर्तों का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। उल्लंघन की दशा में उचित कार्यवाही हेतु बाध्य है।
22.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीव के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीव के संरक्षण व विकास के हित में

		समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।
23.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वनविभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	विभाग द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 में मलवा निस्तारण हेतु उचित स्थानों पर Dumping Plan का प्राविधान किया गया है जिसमें उक्त स्थान पर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कर मलवे को स्थिर किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थानों पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर इनका स्थिरीकरण कार्य किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्ष की कटाई नहीं की जायेगी।
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25.	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जायेगी।	

उप निदेशक
गोविन्द वन • ज विहार/राष्ट्रीय पार्क
धुपरोला (उत्तरकाशी)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)
E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक-382/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0

दिनांक 22/13 /2021

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी,
इन्दिरा नगर, फरेस्ट कॉलोनी, देहरादून

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त सौड़ से ओसला मोटर मार्ग (28.100 किमी0) के निर्माण हेतु 22.2165 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/43650/2019)।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक संख्या- 1057/FP/UK/ROAD/43650/2019, दिनांक 09.10.2020 एवं भारत सरकार सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक-88/UCP/06/80/2020/FC/1415 दिनांक 30.09.2020।

महोदय,

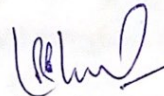
उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें जिसमें की आपके द्वारा स्टेज-I की अनुपालन आख्या पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया था, जिस कम में अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार है-

1. क0स0 1 के कम में वनभूमि की विधिक परिस्थिति यथावत् रहेगी।
2. क0स0 1 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण हेतु गैर वन भूमि का स्थानान्तरण हो चुका है।(साक्ष्य सलग्न है)।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत (44.433है0) हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा आकलित लागत का भुगतान सम्बन्धित खाते में किया जा चुका है।(साक्ष्य सलग्न है)।
4. गैर वानिकी भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के नाम किया जा चुका है।(साक्ष्य सलग्न है)।
5. क0स0 5 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्युनतम पेड़ों की कटाई की जायेगी पेड़ों की संख्या 172 से अधिक नहीं होगी। पेड़ों की कटाई की लागत प्रयोक्ता खण्ड द्वारा वहन की जायेगी।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राष्ट्रीय पार्क की 10 गुना एन0पी0वी0 धनराशि जमा कर दी गयी है।(साक्ष्य सलग्न है)
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जोनल मास्टर प्लान एवं भागीरथी ईको सेन्सिटिव जोन का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
8. स्टेज-II के कार्य से पूर्व पेड़ कटान से सम्बन्धित सभी आर्डर राज्य सरकार से प्राप्त किये जायेंगे।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धन ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दिया गया है।
10. FRA-2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर के प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
11. संरक्षित /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर विनियन साईनेज लगाए जायेंगे।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार, आदेशों का पालन किया जायेगा।
13. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जायेगा।
14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मजदूरों को विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विभाग को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।
21. वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में निहित शर्तों का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। उल्लंघन की दशा में उचित कार्यवाही हेतु बाध्य है।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. विभाग द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 में मलवा निस्तारण हेतु उचित स्थानों पर Dumping Plan का प्राविधान किया गया है जिसमें उक्त स्थान पर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कर मलवे को स्थिर किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थानों पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर इनका स्थिरीकरण कार्य किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्ष की कटाई नहीं की जायेगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

अतः उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त सौड़ से ओसला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 22.2165 हे० वनभूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित।

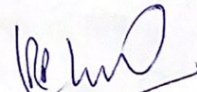
O/c


अधिशायी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

पत्रांक 382/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि०ख०/पुरोला/तदिनांक

प्रतिलिपि— उपनिदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/c


अधिशायी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

:: आदेश ::

अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०, पुरोला द्वारा अपने पत्र संख्या 745/पी०एम०-पत्रा० विविध/2020 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड, मोरी में सड़क से ओसला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 44.433 हे० भूमि ग्राम ओसला के सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गोविन्द वन्य जी विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 44.433 हे० ग्राम ओसला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी,पुरोला द्वारा अपने पत्र संख्या 139/रा.का.-क्षति० वृक्षा०रो०प्रस्ता०/2020 दिनांक 14 अक्टूबर 2020 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ओसला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 28.100 हे० भूमि के बदले दुगुनी 44.433 हे० वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०,पुरोला का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव मांगा गया के क्रम में तहसीलदार पुरोला/राजस्व उप निरीक्षक गंगाड से जांच करवायी गयी है। तहसीलदार,पुरोला/राजस्व उप निरीक्षक गंगाड द्वारा अपनी जांच आख्या में अवगत कराया गया है, कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण के बदले ग्राम ओसला की नॉन जेड०एम० खाता संख्या-64 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ड. में दर्ज खसरा सं० 2 रकबा 5.787हे०,खसरा सं० 49 रकबा 4.581हे०, खसरा संख्या: 3362 रकबा 7.031हे०, खसरा संख्या:3449 रकबा 2.879हे०,खसरा सं०3451 रकबा 0.255हे०, खसरा सं० 3470 रकबा 6.620हे०,खसरा संख्या: 3472 रकबा 4.213हे०,खसरा संख्या:3474 रकबा 6.440हे०, खसरा संख्या: 3502 रकबा 4.323हे०, खसरा संख्या:3505 रकबा 0.304हे०, खसरा संख्या:3772 रकबा 1.093हे० एवं खसरा संख्या: 3774 रकबा 1.535 भूमि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि व नक्शे, खसरे एवं खतौनी की प्रति संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी, बडकोट/तहसीलदार, बडकोट से प्राप्त आख्या अनुसार ग्राम ओसला तहसील पुरोला की नॉन जेड०एम० खाता संख्या-64 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3)ड. में दर्ज खसरा सं० 2 रकबा 5.787हे०,खसरा सं० 49 रकबा 4.581हे०, खसरा संख्या: 3362 रकबा 7.031हे०, खसरा संख्या:3449 रकबा 2.879हे०,खसरा सं०3451 रकबा 0.255हे०, खसरा सं० 3470 रकबा 6.620हे०,खसरा संख्या: 3472 रकबा 4.213हे०,खसरा संख्या:3474 रकबा 6.440हे०, खसरा संख्या: 3502 रकबा 4.323हे०, खसरा संख्या:3505 रकबा 0.304हे०, खसरा संख्या:3772 रकबा 1.093हे० एवं खसरा संख्या: 3774 रकबा 1.535हे० भूमि प्रस्तावित की गयी है। शासनादेश संख 260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002 शासनादेश संख्या:111/XXVII(7)50(39)/2014 दिनांक 09.07.2015 तथा शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II) 2015-18(169)/2015 दिनांक 30

कमला:

जुलाई, 2015 में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरण किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। रिट याचिका संख्या 2764/2011 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 आच्छादित नहीं है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उक्त भूमि को गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क,पुरोला को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त भूमि को नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

दिनांक 21.10.2020

ह0/-मयूर दीक्षित
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

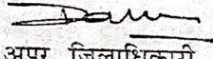
कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या: 767 /ग्यारह-विविध (2020-21)

दिनांक 03 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, पुरोला।
2. निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।
3. तहसीलदार, पुरोला।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0, पुरोला।


अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
3/11/2020

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



©Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/43650/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/43650/2019) Construction of Saur to Osala motor road	ROAD436502019664	6143650664	30 Sep 2020	CA: 14982097/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 145962405/- Other Charges : 0/- Charges1 : 0/- Charges2 : 0/- Charges3 : 0/- Total : 160944502/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 28 Oct 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 03 Nov 2020 Transaction Date : 10 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/101123122612159A0B) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCpid=ROAD436502019664)
2	FP/UK/ROAD/29640/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/29640/2017) Construction of Banas to Durbil Motor Road.	ROAD296402017572	6129640572	21 Oct 2020	CA: 1415635/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1825200/- Other Charges : 0/- Charges1 : 0/- Charges2 : 0/- Charges3 : 0/- Total : 3240835/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 20 Nov 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 21 Nov 2020 Transaction Date : 25 Jan 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/111119) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCpid=ROAD296402017572)
3	FP/UK/ROAD/41387/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/41387/2019) RAMA TO SYALUKA	ROAD413872019505	6141387505	24 Jul 2020	CA: 3058934/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3832920/- Other Charges : 0/- Charges1 : 0/- Charges2 : 0/- Charges3 : 0/- Total : 6891854/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 10 Aug 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 12 Aug 2020 Transaction Date : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811512) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCpid=ROAD413872019505)
4	FP/UK/ROAD/34189/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34189/2018) Construction of Odata to Saras Motor Road in Block Mori, District Uttarkashi, Under PMGSY.	ROAD341892018621	6134189621	31 Jan 2020	CA: 2353238/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3243533/- Other Charges : 0/- Charges1 : 0/- Charges2 : 0/- Charges3 : 0/- Total : 5596771/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 18 Feb 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 26 Feb 2020 Transaction Date : 29 Feb 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2111312581211F7WFO) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCpid=ROAD341892018621)
5	FP/UK/ROAD/33852/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/33852/2018) Mori to Salra Motor Road Under PMGSY	ROAD338522018079	6133852079	01 Nov 2019	CA: 6613099/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 9115015/- Other Charges : 0/- Charges1 : 0/- Charges2 : 0/- Charges3 : 0/- Total : 15728114/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 13 Nov 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 15 Nov 2019 Transaction Date : 06 Jan 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/111191246121239Y4LC NPV_MoritoSalra.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCpid=ROAD338522018079)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT- UTTARKASHI (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashish Kumar Chohan I.A.S deputy commissioner, Uttarkashi on dated 02.07.20 at time 11:00 am at Uttarkashi in which application claiming rights in R.F. area measuring 22.2165 hect for the construction of Saur to Osla Motar Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Paola/Mori..... sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.




प्रमुख अधिकारी
उत्तरकाशी

Place: Uttarkashi
Dated: 02.07.20

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

